न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 117/2016

1. गगनदीपसिंह पुत्र सेवासिंह जाति जटसिख निवासी 12 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री हरवीरसिंह बराड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार राज अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 06.10.2016**

प्रार्थी गगनदीपसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 25 एम.एल. के मुरब्बा नबर 37 किला नम्बर 6, 7, 15 तादादी 3.00 बीघा मेरे पिता स्व. लेखासिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख द्वारा जरिये बैयनामा दिांक 20.07.1977 के द्वारा सहीराम लेखराम पिसरान सुखाराम जाति जाट साकिन माझूवास से खरिद किया गया है। जिनका आदिनांक तक जमाबन्दी में नाम गलत होनें के कारण इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2033 के खाता संख्या 58 के अनुसार हमारा खरीद शद्धा रकबा श्योकरण, लेखराम पिसरान सुखा के नाम दर्ज है जबकि मुताबिक इन्तकाल संख्या 45 दिनांक 10.10.1976 को जरीये बैयनामा बेचान किया जा चुका था जो कि सहवन से जमाबन्दी सम्वत् 2033 को लिखते समय सहीराम लेखराम पिसरान सुखराम के स्थान पर श्योकरण लेखराम पिसरान सुखा लिखा गया है , जिसे दुरस्त करवानें का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट इन्तकाल संख्या 32, 44, 45 अनुसार सहीराम–लेखराम पिसरान सुखा बहिस्सा बराबर 2/6 हिस्सा छोड़कर सुखा के अन्य वारिसों द्वारा अपनें हिस्सा का बेचान किया गया है मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 की जमाबन्दी के खाता संख्या 58 में श्योकरण वल्द सुखा 86 2/3 हिस्सा लेखराम बल्द सुखा 86 2/3 हिस्सा कौम जाट साकिन माझूवास रिकार्ड दर्ज है इन्तकाल संख्या 45 बैयनामा के अनुसार श्योकरण पुत्र सुखा द्वारा अपनें हिस्सा का बेचान किया जा चुका है, जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 में सहीराम–लेखराम पिसरान सुखा के स्थान पर श्योकरण–लेखराम पिसरान सुखा का अंकन हुआ है। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वर्त 2066–2069 में भी दर्ज है।

मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपनें पिता सेवासिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख द्वारा जरीये बैयनामा दिनांक 20.07.1997 सहीराम–लेखराम पिसरान सुखा से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6, 7, 15 कुल 3.00 बीघा भूमि खरिद की गई है। उक्त नाम रजिस्ट्री में होनें के कारण दर्ज किया गया है। अतः शुद्धि किया जाना उचित है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली का अवलोकन किया गया गया तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 में श्योकरण–लेखराम पिसरान सुखा के स्थान पर सहीराम–लेखराम पिसरान सुखा की शुद्धि किये जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करनें के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर